न्यायालय दशम अपर सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।

एस0टी0 संख्या–470 / 2014

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजय सिंह।

अपराध संख्या–169 / 2012

धारा–307 भा0दं0सं0

थाना–मिश्रिख, जिला–सीतापुर।

आवेदन संख्या–19क का निस्तारण।

दिनांक 24.04.2019

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। आवेदन संख्या–19ख अन्तर्गत धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि पत्रावली अभियोजन साक्ष्य में है। घटना दिनांक 23.05.2012 समय 08:30 पी0एम0 की है। वादी मुकदमा राम किशुन द्वारा थाना मिश्रिख में विजय सिंह व अजय सिंह के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। तहरीर में उल्लेख किया गया कि विजय सिंह व अजय सिंह ने नाजायज असलहे से चोटहिल धर्मेन्द्र को जान से मारने के लिए गोली मार दी। विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त आरोप पत्र अभियुक्त अजय सिंह के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में न्यायालय में अभियोजन साक्षी संख्या–1 रामकिशुन एवं अभियोजन साक्षी संख्या–2 धर्मेन्द्र परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने अपने न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य में अभियुक्त अजय सिंह व विजय सिंह द्वारा घटना कारित करना बताया है। अतः विजय सिंह को विचारण हेतु आहूत किया जाए।

अभियुक्त अजय सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गई और कथन किया गया कि अभियोजन द्वारा वाद को विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से आवेदन दिया गया है।

पत्रावली का परिशीलन किया।

मूल तहरीर प्रदर्श–क1 में वादी का कथन निम्न है ''हमारी विजय व अजय सिंह पुत्र लल्लू निवासी खेधौरा से रंजिश चल रह रही है। पहले भी आपस में कहासुनी हो चुकी है। आज दिनांक 23.05.2012 को समय करीब 8 बजे रात धर्मेन्द्र पुत्र रामगोपाल, निवासी लुकटहा, थाना महौली, टट्टी करने गया था। नहर पुलिया पर समय करीब 8:30 बजे विजय सिंह व अजय सिंह पुत्र लल्लूराम, निवासी खिधौर, थाना मिश्रिख ने नाजायज असलहे से धर्मेन्द्र के जान से मारने के लिए गोली मार दी। यह घटना काफी लोगों ने देखी है। धर्मेन्द्र गंभीर घायल है। लेकर आये हैं।''

थाने पर तहरीर दिनांक 23.05.2012 को समय 09:10 बजे रात्रि पंजीकृत हुई है। घटना स्थल से थाना की दूरी 6 कि0मी0 पूरब है।

2

चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट में चुटहिल धर्मेन्द्र कुमार के शरीर पर निम्न चोट पाई गई हैं –

A. 2 C.M. X 2 C.M. X Abdomnal cavity deep wound of entry ..... अपठनीय

उक्त चिकित्सा परीक्षण डा0 ए0के0 शाक्य द्वारा किया गया है। चिकित्सा परीक्षण दिनांक 23.05.2012 को रात्रि 11 बजे सदर अस्पताल सीतापुर में हुआ है। चुटहिल को चिकित्सा परीक्षण हेतु होमगार्ड 1445 गया प्रसाद, थाना मिश्रिख द्वारा लाया गया है। विवेचक द्वारा विजय कुमार सिंह का नाम दौरान विवेचना अपराध में संलिप्त निम्न साक्ष्यों के बयान के आधार पर नहीं पाया है। राम प्रसाद पुत्र जेजे, सरोज पुत्र रामप्रसाद, सुरेश पुत्र गनेश, लालता प्रसाद पुत्र गुहान, बिज्रमोहन पुत्र लालता, सलीम पुत्र हलीम, राम सिंह पुत्र पुत्तू, के शपथ पत्र में यह कथन आया है कि अभियुक्त मौके पर नहीं था, मौके पर फायर हुआ था। विजय सिंह अपने भाई अजय सिंह को लेकर जमीन पर गिर गये थे। इन साक्षियों द्वारा विजय सिंह अथवा अजय सिंह द्वारा गोली चलाने से इंकार किया गया है। विवेचक द्वारा सी0डी0 पर्चा नम्बर–19 में स्वतंत्र साक्षी लल्लन का बयान लिया गया है। लल्लन ने अपने बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में कथन किया है कि ''विजय सिंह भी मौके पर अपने भाई अजय सिंह को बचाने के लिए आ गये कि इसी दौरान अजय सिंह अपने हाथ में लिये नाजायज असलहे से एक फायर धर्मेन्द्र के ऊपर जान से मारने की नियत से कर दिये, जिसकी गोली धर्मेन्द्र को लग गयी। जिसके उपरान्त रामकिशन प्रधान ने अजय सिंह, विजय सिंह को मारकर चोटें पहुंचाई।''

न्यायालय के समक्ष दिये बयान में पी0डब्यू0–1 रामकिशुन ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया तथा प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि घटना के समय मैं घर पर था। अपनी आखों से घटना नहीं देखी थी। अजय व विजय ने मेरे खिलाफ इस मुकदमे का क्रास केस पंजीकृत कराया है। घटना स्थल पर पहुंचने में 2–3 मिनट मुझे लगा था। पी0डब्यू0–1 की मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिस समय धमेन्द्र के ऊपर गोली चलाई गई, पी0डब्लू0–1 मौके पर नहीं था। पी0डब्लू–2 चुटहिल साक्षी धर्मेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि जब मैं नहर की पुलिया पर पहुंचा तब मैंने अपनी टार्च के उजाले में नहर पुलिया पर देखा कि

अजय सिंह व विजय सिंह नहर पुलिया पर खड़े थे। विजय सिंह ने अजय सिंह से कहा कि मारो साले को। तब अजय ने देशी तमंचे से मेरे ऊपर जान से मार डालने की नियत से फायर कर दिया। फायर मुझे लगभग 5 फिट की दूरी से मारा गया था। जब विजय ने अजय से फायर करने के लिए कहा तब मैं अपने

बचाने के लिए जमीन पर बैठा। इधर–उधर भागने की कोशिश नहीं किया था। अभियुक्त घटना के समय नहर की पुलिया पर पूरब की तरफ भागा था।

Periyasami v. S. Nallasamy, 2019 SCC OnLine SC 379, decided on 14.03.2019,

Supreme Court: In case where a man tried to rope in other relatives of his wife in a criminal proceeding that he had initiated against his in-laws, the bench of Dr. DY Chandrachud and **Hemant Gupta**, JJ held that mere disclosing the names of the appellants cannot be said to be strong and cogent evidence to make them to stand trial for the offence under Section 319 of the Code.

Factual Background:

- The complainant had alleged that his wife lived with her parents, despite several attempts on his part to bring her with him and that his mother-in-law, father-in-law and brother-in-law threatened that their daughter will not live with him and demanded Rs. 30 lakhs towards maintenance otherwise they will lodge a dowry case against him and his mother.
- He filed the criminal case against his in-laws and other relatives of his wife after his in-laws, along with 47 other relatives, forcibly entered his house and threatened to kill him if he did not pay Rs. 30 lakhs. They also tried to attack him with sickles and sticks.
- Though in the FIR, Complainant had mentioned that 15 women and 35 men came by vehicles but the names of 11 persons alone were disclosed in the FIR.
- He then filed an application under Section 319 of the Code to summon the 20 accused persons named in the application as additional accused.

Ruling:

The Court noticed that the present case was basically a matrimonial dispute wherein, the husband who is the Complainant has levelled allegations against the wife and her other family members. In the statements recorded under Section 161 of the Code during the course of investigation, the Complainant and his witnesses have not disclosed any other name except the 11 persons named in the FIR. Thus, the Court said:

> “the Complainant has sought to cast net wide so as to include numerous other persons while moving an application under Section 319 of the Code without there being primary evidence about their role in house trespass or of threatening the Complainant. Large number of people will not come to the house of the Complainant and would return without causing any injury as

they were said to be armed with weapons like crowbar, knife and ripper etc.”

The Court also noted that the allegations in the FIR were vague and could be used any time to include any person in the absence of description in the First Information Report to identify such person. Stating that the additional accused cannot be summoned under Section 319 of the Code in casual and cavalier manner in the absence of strong and cogent evidence, the Court said:

“Under Section 319 of the Code additional accused can be summoned only if there is more than prima facie case as is required at the time of framing of charge but which is less than the satisfaction required at the time of conclusion of the trial convicting the accused.”

In CRIMINAL APPEAL NO. 1750 OF 2008 Hardeep Singh Versus State of Punjab & Ors. Date of judgement 10-1-2014 The Hon'able Supreme Court in para 54 held that---54. To answer the questions and to resolve the impediment that is being faced by the trial courts in exercising of powers under Section 319 Cr.P.C., the issue has to be investigated by examining the circumstances which give rise to a situation for the court to invoke such powers. The circumstances that lead to such inference being drawn up by the court for summoning a person arise out of the availability of the facts and material that comes up before the court and are made the basis for summoning such a person as an accomplice to the offence alleged to have been committed. The material should disclose the complicity of the person in the commission of the offence which has to be the material that appears from the evidence during the course of any inquiry into or trial of offence. The words as used in Section 319 Cr.P.C. indicate that the material has to be “where … .it appears from the evidence” before the court.

In para 80 80. In view of the discussion made and the conclusion drawn hereinabove, the answer to the aforesaid question posed is that apart from evidence recorded during trial, any material that has been received by the court after cognizance is taken and before the trial commences, can be utilised only for corroboration and to support the evidence recorded by the court to invoke the power under Section 319 Cr.P.C. The ‘evidence’ is thus, limited to the evidence recorded during trial.

In Para-99.--- Thus, we hold that though only a prima facie case is to be established from the evidence led before the court not necessarily tested on the anvil of Cross-Examination, it requires much stronger evidence than mere probability of his complicity. The test that has to be applied is one which is more

than prima facie case as exercised at the time of framing of charge, but short of satisfaction to an extent that the evidence, if goes unrebutted, would lead to conviction. In the absence of such satisfaction, the court should refrain from exercising power under Section 319 Cr.P.C. In Section 319 Cr.P.C. the purpose of providing if 'it appears from the evidence that any person not being the accused has committed any offence' is clear from the words "for which such person could be tried together with the accused." The words used are not 'for which such person could be convicted'. There is, therefore, no scope for the Court acting under Section 319 Cr.P.C. to form any opinion as to the guilt of the accused.

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले में विजय सिंह नामित अभियुक्त है। चुटहिल साक्षी ने बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में विजय सिंह के ललकारने

पर अजय सिंह द्वारा गोली मारना बताया है। चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट में गोली की चोट चिकित्सक द्वारा अंकित की गई है। पी0डब्लू–2 चुटहिल साक्षी ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में विजय सिंह की मौके पर उपस्थिति तथा विजय सिंह के ललकारने पर अजय सिंह द्वारा गोली मारना बताया है। घटना टार्च की रोशनी में देखना बताया है। घटना स्थल नक्शा नजरी के अनुसार नहर की पुलिया है। नहर पूरब–पश्चिम बहती है। घटना का समय थाने पर पंजीकृत होने के समय में 40 मिनट का अंतर है। अतः थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने में कोई विलम्ब कारित होना दर्शित नहीं होता है। प्रस्तुत साक्षी के बयान एवं दस्तावेजी साक्ष्य नक्शा नजरी, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट व चिक तहरीर का परिशीलन करने के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यदि उपरोक्त तथ्यों को विजय सिंह द्वारा प्रतिकार नहीं किया जाता है तो विजय सिंह के विरूद्व ऐसा साक्ष्यहै जिससे विजय सिंह की अरपाध कारित किये जाने से इंकार नही किया जा सकता है। एकल साक्षी के बयान के आधार पर भी जहां साक्षी का साक्ष्य पूर्णत्या विश्वसनीय प्रकृति का है, उसके बयानों में कोई तात्विक विरोधाभाष नहीं है, दोष सिंद्ध की जा सकती है।

प्रस्तुत मामले में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि विजय सिंह को अन्तर्गत धारा–319 दण्ड प्रक्रिया संहिता आहूत किये जाने के लिए प्रर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदन अभियोजन 16–ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदन 16–ख स्वीकार किया जाता है। विजय सिंह पुत्र लल्लूराम, निवासी ग्राम खुधौरा, थाना मिश्रिख, जिला सीतापुर को धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता, थाना मिश्रिख जिला सीतापुर के मामले में अर्न्तगत धारा 319 द0

प्र0 सं0 आहूत किया जाता है। अभियुक्त विजय सिंह को सम्मन जारी हो। पत्रावली दिनांक **10.5.2019** को अभियुक्त विजय सिंह की उपसंजाति हेतु पेश हो।

दिनांक 24.04.2019

(अशोक कुमार दूबे–प्रथम)
दशम अपर सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।